न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 77/2017/अपील

पुष्पा देवी उम्र 70 वर्ष पत्नी सीताराम जाति महाजन निवासी कपिल मण्डी नीमकाथाना हाल निवासी अम्बानी दता रोड़, हावड़ा कोलकता(पश्चिम बंगाल)

अपीलान्ट

बनाम

1. रामअवतार } पुत्रगण तेजपाल
2. पवन कुमार } पुत्रगण तेजपाल
3. प्रेमलता बेवाह शंकरलाल
4. गोपाल पुत्र शंकरलाल
5. अमिता पत्नी शंकरलाल
6. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

(1 से 5) समस्त जाति महाजन निवासी पुराना सैल टैक्स ऑफिस के पास कपिल मण्डी नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 837 दिनांक 06.12.1979 कस्बा नीमकाथाना द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना

वकील अपीलांट श्री विजयसिंह तंवर

निर्णय **दिनांकः—28.08.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा नीमकाथाना की कृषि भूमि वर्तमान ख.नं. 487,488 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 हैक्टर अवस्थित है। उक्त भूमियों का पूर्व खातेदार जगन्नाथ पुत्र गणेश व तेजपाल पुत्र जगन्नाथ जाति महाजन निवासी नीमकाथाना था, तथा उनकी खातेदारी में उक्त कृषि भूमियां थी। खातेदारान् की मृत्यु के पश्चात विरासतन चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण सं. 837 कस्बा नीमकाथाना तस्दीक किया गया, जो खातेदारान् का सजरा खानदान इस प्रकार से हैः—

जगन्नाथ पुत्र गणेश
↓
तेजपाल
↓

रामअवतार (रेस्पो. सं. 1)	सीताराम	शंकरलाल	पवन कुमार (रेस्पो. सं. 2)
	↓ पुष्पा देवी (पत्नी)(अपीलाण्ट)	↓	

प्रेमलता(पत्नी)	गोपाल(पुत्र)	अमिता(पुत्री)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार खातेदार तेजपाल के चार पुत्र हुए लेकिन अधिनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना ने विरासतन नामान्तरकरण मृतक तेजपाल के तीन पुत्रों के नाम चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया, जबकि तेजपाल के सीताराम नाम का पुत्र भी पैदा हुआ। अपीलाण्ट सीताराम की पत्नी है। अपीलाण्ट के पति सीताराम का चुनौतिग्रस्त भूमियों में 1/4 हिस्सा है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा भरा गया नामान्तकरण विरासतन अधिकारों के विपरीत तस्दीक किया गया है अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक जगन्नाथ व तेजपाल के वारिशान की जांच किये बिना तस्दीक किया गया है तथा तेजपाल के तीन वारिशान ही पीढीनामा में दर्शित किये गये है, जबकि तेजपाल के सीताराम नाम जो कि अपीलाण्ट का पति है भी पुत्र सन्तान था। चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत तस्दीक किया हुआ होने के कारण खारिज होने योग्य है क्योकि खातेदार के जितने भी वारिशान होते है वह समस्त विरासतन हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई नोटिस अथवा सूचना नही दी गयी तथा नाही सुनवाई का अवसर दिया गया, बल्कि बाला–बाला चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जो विधी के प्रावधानो के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 837 दिनांक 06.12.1979 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक तेजपाल के समस्त वारिशान की जांच की जाकर अपीलांट के नाम हिस्सा 1/4 का नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। रेस्पो. बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलांट सीताराम की पत्नी होने व सीताराम तेजपाल का पुत्र होने के सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा केवल मात्र कथन किया है, बल्कि इस सम्बंध में पुष्टि हेतु कोई विश्वस्त साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये, जिनसे इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि अपीलांट स्व0 तेजपाल के वारिश है। अपीलांट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों और चाहे गये अनुतोष की पुष्टि हेतु कोई विश्वस्त साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/18

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official